प्रपत्र–23

(54)

परियोजना का नाम : जनपद पिथौरागढ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, बिरतोला–बेलकोट मोटर मार्ग (किमी0 9.00) का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नामः–बेलकोट

तहसील–बेरीनाग   जिला–पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत **बिरतोला–बेलकोट मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (**2.4804** हे0 नाप भूमि, **1.9566** हे0 सिविल सोयम वन भूमि, **4.1829** हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात **कुल 8.6199 हे0** वन भूमि का **ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडीहाट (पिथौरागढ़)** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालयद्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **बेलकोट** द्वारा दिनांक **08.08.2014** को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **उखेडा भण्डारीवाला, बेलकोट, पीपलतड, मुसलीगाड़** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत **बिरतोला–बेलकोट मोटर मार्ग (किमी0 9.00)** के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को वनविभाग को हस्तान्तरित एवं चयनित भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने में ग्रामवासी कोई आपत्ति नही है।

मक डिस्पोजल हेतु चयनित भूमि पर मलबा डालने में ग्रामवासीयों को कोई आपत्ति नही हैं। उक्त चयनित भूमि में किसी प्रकार का **ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, शमशान घाट, कब्रिस्तान, चर्च** आदि स्थित नही है, तथा इस भूमि को किसी भी प्रकार के सार्वजनिक उपयोग में नही लायी गई है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

वन क्षेत्राधिकारी
बेरीनाग

Astt. Engineer
R.E.S. P.M.G.S.Y
Didihat

Executive Engineer
Rural Engineering
P M G S Y

ह0/–
वन पंचायत सरपंच
वन पंचायत उखेड़ा

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र.................
तहसील.................
जिला– पिथौरागढ़

ह0/ प्रधान
ग्राम प्रधान बेलकोट
वि0ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)

तहसीलदार
तहसील बेरीनाग

ह0/–
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

प्रपत्र--23.1

दिनांक 08/08/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बेलकोट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वयस्क ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दीवान सिंह	दीवान सिंह
2	देवराम	देवराम
3	नन्दन राम	नन्दन राम
4	खड़क राम	खड़क राम
5	दिनेश	Dinesh
6	जीवन राम	जीवन राम
7	भगवान सिंह	भगवान सिंह
8	रमेश राम	रमेश राम
9	रमेशराम	रमेश राम
10	विनोद राम	विनोद राम
11	रमेशराम	रमेश राम
12	हरीशराम	हरीश राम
13	इन्द्र सिंह	इन्द्र सिंह
14	कमला देवी	कमला देवी
15	मदन सिंह	मदन सिंह
16	चन्द्र राम	चन्द्र राम
17	कल्याण राम	कल्याण राम
18	फकीर राम	फकीर राम
19	बहादुर सिंह	बहादुर सिंह
20	प्रेम सिंह	Prem Singh
21	किशन राम	किशन राम
22	किरन थापा	किरन थापा
23	हरीश थापा	हरीश थापा
24	कमलेश राम	कमलेश राम
25	हरी सिंह	हरी सिंह
26	महेश सिंह	महेश सिंह
27	दानी राम	दानी राम
28	चन्द्र राम	चन्द्र राम

P.C. Awasthi

Astt. Engineer
R.E.S. P.M.G.S.Y
Didihat

ह0/--
ग्राम प्रधान
सुनीता देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत बेलकोट
वि0 ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)

सरपंच
वन पंचायत खेती

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत

परियोजना का नामः–जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड बेरीनाग अन्तर्गत बेरीनाग बिनायक पुरानाथल मुवानी मोटर मार्ग से बिरतोला–बेलकोट मोटर मार्ग लम्बाई 9000 मी0 चौड़ाई 9 मीटर वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उक्त योजना अन्तर्गत मोटर मार्ग निर्माण में ग्राम सभा एवं ग्रामीण कास्तकारों की कोई आपत्ति नही है। निर्मित कार्य से बहुत संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा। निरापत्ति प्रमाण–पत्र दिया गया।

महेश चन्द पाठ

1 शेखर चन्द्र — Harsh Singh

[redacted]

2 चन्द्रशेखर

3 दानसिंह

4 जगदीश सिंह

5 मुकेश पाण्डेय

6 ईश्वरी दत्त पाण्डेय

7 रमेश कुमार

8 सुरेश राम टम्टा

9 गोपाल राम

10 देवसिंह

11 चन्द्रसिंह

12 गोविन्द सिंह

13 रूप सिंह

14 [illegible]

15 [illegible]

16 [illegible]

17 मनोहर राम

18 [illegible]

19 [illegible]

20 त्रिलोक सिंह

21 [illegible]

22 प्रताप सिंह / रामसिंह

23 श्री डिगर सिंह बावा

24

25 R. Alert

मनोहर राम

ह0/
ग्राम पंचायत [illegible]
वि०ख० बेरीनाग (पिथौरागढ़)

प्रधान / सरपंच

मोहर

Astt. Engineer
R.E.S. P.M.G.S.Y
Didihat

प्रपत्र–23.2

(57)

परियोजना का नाम : जनपद पिथौरागढ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, बिरतोला–बेलकोट मोटर मार्ग (किमी0 9.00) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी बेरीनाग
अनुसूचित जानजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति–बेरीनाग

उपखण्ड बेरीनाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत **बिरतोला–बेलकोट मोटर मार्ग (किमी0 9.00)**, (**शून्य हे0** आरक्षित वन भूमि, **1.9566 हे0** सिविल सोयम वन भूमि, **4.1829 हे0** वन पंचायत भूमि अर्थात **कुल 6.1395 हे0 वन भूमि**) का ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील–बेरीनाग) की दिनाकं 16-10-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री हेमेन्त कुमार वर्मा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यो की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री हेमेन्त कुमार वर्मा उपजिलाधिकारी ......बेरीनाग...... अध्यक्ष
2– श्री गणेश दत जोशी उप प्रभागीय वनाधिकारी ......बेरीनाग...... सदस्य
3– श्री बन्शीधर पन्त सहायक समाज कल्याण अधिकारी......बेरीनाग...... सदस्य/सचिव
4– श्री......भगवती देवी...... बी0डी0सी0 क्षेत्र ......बेलकोट...... सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **बिरतोला–बेलकोट मोटर मार्ग** परियोजना हेतु **6.1395 हे0 वन भूमि** ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एंजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से परित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बेरीनाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की सकती है।

उपजिलाधिकारी अध्यक्ष	उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य	सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव	वी0डी0सी0क्षेत्र सदस्य

उप जिला अधिकारी (उत्तराखण्ड)
सहायक समाज कल्याण अधिकारी बेरीनाग (पिथौरागढ़)

Executive Engineer, Rural Engineering

Asst. Engineer
R.E.S. P.M.G.S.Y
Didihat

प्रधान
ग्राम पचायत बेलकोट
वि0ख0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)

राजस्व उपनिरीक्षक ... तहसील ... पिथौरागढ़

सरपंच वन पंचायत उखेडा

वन क्षेत्राधिकारी बेरीनाग

तहसीलदार बेरीनाग

प्रपत्र-23.3

(58)

From -1
(For Linear Projects)
Government of Uttrakhand
Office of the District collector Pithoragarh

No........ **Date** 20.10.14.

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and forests (MoEF) Government of Indias letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduted Tribes and other Traditional forest dwellers (recognition of forest rights) act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **6.1395** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Gram Vikash Department, Govt. of Uttarakhand** for the Construstion of **Motor Road From Birtola – Belkot** in **Pithoragarh** district falls with in jurisdiction of Ukheda , **Bhandarivala, Belkot, Pipaltad, Musligad** village in_**Berinag** Tehsil.

It is further certuifird that

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **6.1395** hectares of forest area proposed for diversion a copy of record of all consultations and meetings of the forest rights committees are enclosed as annexure ------------to ---------- annexure ------------

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it --------

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl: As above

Signature

(~~N.C. Semwal~~)
जिलाधिकारी पिथौरागढ़

District collector
Pithogarh

Dated 20.10.14

Executive Engineer
Rural Engineering Service
P.M.G.S.Y.- Didihat

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र....
पौल....
जिला- पिथौरागढ़

वन क्षेत्राधिकारी
बेरीनाग

खण्ड विकास अधिकारी
बेरीनाग

प्रपत्र–23.4

(59)

परियोजना का नाम : जनपद पिथौरागढ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, बिरतोला–बेलकोट मोटर मार्ग (किमी0 9.00) का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत **बिरतोला–बेलकोट मोटर मार्ग (किमी0 9.00)** परियोजना के निर्माण हेतु **6.1395** हे0 वनभूमि ग्राम्य विकास विभाग, को (प्रयोक्ता एजेन्सी) प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 2491/10–एफ0सी0, दिनांक 18–03–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सडक, नहर, पारेशण लाईन, ओ0एफ0सी0, केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो से मुक्त किया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह, (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे है।

दिनांक:-20.10.14

Executive Engineer
Rural Engineering Service
P.M.G.S.Y.- Didihat

ह0/- (एच.सी. सेमवाल)
जिलाधिकारी

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र.........
तहसील.........
जिला- पिथौरागढ

उपजिलाधिकारी,
बेरीनाग

वन क्षेत्राधिकारी
बेरीनाग